भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5268

(24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

उत्तर प्रदेश में पीएमएवाई-जी

5268. श्री उज्जवल रमण सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अन्तर्गत स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण तथा स्वीकृति हेतु लंबित आवासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इलाहाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण तथा स्वीकृति हेतु लंबित आवासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत उक्त लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में चालू वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से बुनियादी सुविधाओं के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करके, मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ आवास (पिछले चरण के 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य सहित) निर्माण करने हेतु 1 अप्रैल, 2016 से 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' को कार्यान्वित कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.14 करोड़ आवसों का लक्ष्य आवंटित किया है, जिसकी तुलना में राज्यों द्वारा 3.90 करोड़ से अधिक

आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 20.03.2026 की स्थिति के अनुसार 2.98 करोड़ से अधिक आवास पूरे चुके हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य को कुल 36,85,704 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से राज्य द्वारा 36,55,917 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 20.03.2026 की स्थिति के अनुसार राज्य द्वारा 36,42,255 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि इलाहाबाद लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में राज्य द्वारा कुल 94,470 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 20.03.2026 की स्थिति के अनुसार 93,911 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) योजना के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियों में राजकोष से पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते (एसएनए) में केंद्रीय और राज्य अंश की राशि जारी करने में देरी, लाभार्थियों की अनिच्छा के मामले, स्थायी प्रवास, मृतक लाभार्थियों के विवादित उत्तराधिकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन में देरी और समय-समय पर होने वाले सामान्य/विधानसभा/पंचायत चुनाव तथा निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता शामिल है। सभी विलंबों के बावजूद, यह योजना अपने प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है और मंत्रालय 31 मार्च, 2029 तक 4.95 करोड़ पक्के आवासों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
